कार्यालय संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर उज्जैन संभाग उज्जैन
प्राधिकरण भवन तीसरी मंजिल उज्जैन दूरभाष क्रमांक 0734–2510284

क्रमां/ उपा/वाक/6/लेखा/2017/ 1620 उज्जैन, दिनांक 12-7-17

:: विज्ञप्ति ::

कार्यालय संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर उज्जैन तथा उनके अधीनस्थ वृत्त कार्यालयो के उपयोग हेतु 8 चार पहिया वाहन ग्रहण दिनांक से दिनांक 31.03.18 तक किराया पर लिये जाना है। अतः वाहन किराये पर लिये जाने हेतु इस कार्यालय द्वारा मुहरबन्द निविदाएँ दिनांक 25.07.2017 को दोपहर 2:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, नियत दिनांक तथा समय के पश्चात प्राप्त निविदाओ पर विचार नहीं किया जावेगा।

निर्धारित दिनांक एवं समय तक प्राप्त मुहरबन्द निविदाएं दिनांक 25.07.2017 को ही शाम 4:00 बजे उपस्थित हुए निविदाकर्ताओं अथवा उनके एक अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी। यदि निविदाकर्ताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित तिथि एवं समयस पर उपस्थित नहीं रहते है तो कार्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा निविदाएं खोली जाएंगी।

वाहनो के लिये शर्ते निम्नानुसार है:–

(1) 8 वाहनो में से 5 वाहनो के लिए मुख्यालय शहर उज्जैन होगा, एक वाहन के लिए मुख्यालय देवास शहर होगा । एक वाहन का मुख्यालय शाजापुर शहर होगा, और एक वाहन का मुख्यालय राजगढ शहर होगा, इन वाहनो को आवश्यकता अनुसार भ्रमण हेतु उपयोग किया जाएगा।

(2) सभी टैक्सी वाहन की एक्स शोरूम कीमत रूपये 5.50 लाख से कम नहीं होनी चाहिए।

(3) वाहन मालिक/संस्था सर्विस टेक्स देने की पात्रता रखता हो तथा वाहन मालिक/संस्था का सर्विस टैक्स/जीएसटी में पंजीयन होना चाहिए।

(4) वाहन डीजल एवं ड्रायवर सहित उपलब्ध कराना होगा। ड्रायवर का कमर्शियल ड्रायविंग लायसेंस वैध तिथि का होना चाहिये।

(5) वाहन चालक के अवकाश की स्थिति में दूसरा वाहन चालक उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ड्रायवर का आचारण शालीन तथा अनुशासित होना चाहिए। उसके विरूद्ध किसी भी पुलिस थाने पर कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं होना चाहिए।

(6) वाहनो का नियमित रूप से मैंन्टनेंस किया जाना आवश्यक है तथा वाहन में फ्यूल मैन्टनेंस वाहन चालक एवं अन्य समस्त व्यय वाहन किराये पर देने वाली एजेन्सी द्वारा वहन किया जाएगा।

(7) **अ.** किराए पर प्राप्त किये जाने वाला वाहन बीमित (INSURED) होना चाहिये। वाहन की दुर्घटना होने की स्थिति में समस्त प्रकार का उत्तरदायित्व वाहन किराए पर देने वाली एजेन्सी का होगा।

ब. वाहन की चोरी या क्षतिग्रस्त होने पर समस्त कानूनी कार्यवाही का उत्तरदायित्व सबंधित एजेन्सी का होगा।

(8) मासिक किराये के तहत वाहन का उपयोग प्रतिमाह 1000 कि.मी. होगा। किसी माह में प्रवास की स्थिति में 1000 कि.मी. से अधिक उपयोग पर प्रति किलोमीटर किराये की दर पृथक से दर्शाई जाये।

(9) वाहन मॉडल 2015 से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यदि नया वाहन क्रय कर प्रदाय किया जाता है, तो तद्नुसार घोषणा पत्र संलग्न करे। वाहन अच्छी हालत में होना चाहिए एवं उसे क्षैत्रीय परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे में पंजीयत होना चाहिए। इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।